न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 47/2015 G.C.M.S. No. 2015/00501 दर्ज दिनांक : 26.08.2015

अपीलार्थिगण:

1. मोहनसिंह पुत्र अमरदान जी जाति चारण उम्र 61 वर्ष निवासी धाणदा, तहसील बाली जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. हुलकी बेवा मोहनलाल
2. गुड़ीया पुत्री मोहनलाल
3. मुकेश पुत्र मोहनलाल तमाम जाति सिरवी निवासीगण धाणदा तहसील बाली जिला पाली (रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 जरिये कुदरती वली माता हुलकी बेवा मोहनलाल)
4. किशोर पुत्र मालाजी
5. सुरेश पुत्र मालाजी
6. प्रकाश पुत्र मालाजी
7. शेषाराम पुत्र देवाजी
8. अणची बेवा देवाजी तमाम जातिगण सिरवी निवासीगण धाणदा तहसील बाली जिला पाली
9. जमनी पत्नि खेतारामजी पुत्री देवाराम जी जाति सिरवी निवासी वरकाणा तहसील देसूरी जिला पाली
10. तीजो पत्नी नेनाराम पुत्री देवाजी जाति सिरवी निवासी चांगवा तहसील पाली जिला पाली
11. भंवरी पत्नि जीवाराम जी पुत्री देवाराम जी जाति सिरवी निवासी बीजोवा तहसील रानी जिला पाली
12. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार बाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी बाली लोक अदालत कैम्प कोर्ट मोकमपुरा (पीठासीन अधिकारी श्री सुरेश कुमार खटीक आर.ए.एस.) के निर्णय डिक्री दिनांक 15.06.2015 जो वादीगण हुलकी वगैरह बनाम प्रतिवादीगण किशोर वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री निरस्त कराने बाबत् एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 एवं धारा 96 सीपीसी

उपस्थित–

1. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्टगण
2. श्री दिनेश कुमार प्रजापत, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3, 7, 8, 10 व 11
3. श्री जितेन्द्रसिहं राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 6

निर्णय

दिनांक: 18.10.2024

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी बाली लोक अदालत कैम्प कोर्ट मोकमपुरा के राजस्व वाद संख्या 10/2013 बआनवान हुलकी वगैरह बनाम प्रतिवादीगण किशोर वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

यह कि ग्राम धाणदा तहसील बाली के खसरा नंबर 73 रकबा 1.20 हैक्टेयर, खसरा नंबर 175 रकबा 1.0110 हैक्टेयर, खसरा नंबर 176 रकबा 3.43 हैक्टेयर, खसरा नंबर 178 रकबा 0.0110 हैक्टेयर, खसरा नंबर 179 रकबा 0.050 हैक्टेयर भूमि में रेस्पोडेन्ट हुलकी, गुडीया, मुकेश ने 1/7 हिस्से की खातेदारी घोषणा का दावा प्रस्तुत किया, जिसमें परस्पर सहमति प्रदान करने का उल्लेख करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जबकि प्रकरण में ण्स्वर्गीय देवा के वारिसान अणसी, जमनी, तीजो व भंवरी ने कोई सहमति जाहिर नहीं की एवं न ही उसने कोई राजीनामा प्रस्तुत किया है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिविरूद्ध जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। इसके अतिरिक्त अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट सुरेश, किशोर एवं प्रकाश से दिनांक 12.02.2013 को जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज के इनके हिस्से की भूमि को खरीद करके अपने पक्ष में हल्का पटवारी मोकमपुरा से म्यूटेशन संख्या 315 के द्वारा तहसीलदार बाली द्वारा अपने पक्ष में दिनांक 20.02.2013 को म्यूटेशन स्वीकृत करवाया, जबकि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.02.2013 को रेस्पोडेन्ट हुलकी, गुडीया व मुकेश ने दावा प्रस्तुत किया। जबकि उस दिन अपीलांट रेकर्डेड खातेदार कृषक था एवं मौके पर काबिज था, जिसको जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाकर उसकी पीठ के पीछे एकतरफा निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। अपीलांट को उक्त अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी तब हुई जब दिनांक 20.07.2015 को हल्का पटवारी ने उक्त निर्णय व डिक्री की पालना के लिए मौके पर नाप–चौक करने आये तो उनके द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2015 की बात अपीलांट को बताई गई। तत्पश्चात अपीलांट द्वारा दूसरे दिन बाली जाकर आवेदन संख्या 151 दिनांक 21.07.2015 पेश कर दिनांक 03.08.2015 को नकल प्राप्त की गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकर्डेड खातेदार को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाकर उसकी पीठ के पीछे एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना कर उक्त जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उक्त जैर अपील निर्णय व डिक्री को अपास्त फरमावें।

अपीलांट द्वारा अपील के साथ शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी अपीलांट को दिनांक 20.07.2015 को जब पटवारी उक्त निर्णय व डिक्री की पालना के लिए मौके पर आये, तो उन्होंने इसके संबंध में बताया। तत्पश्चात अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में नकल आवेदन संख्या 151 दिनांक 21.07.2015 पेश किया। जो दिनांक 03.08.2015 को नकल प्राप्त हुई। अतः विलंब को कण्डोन फरमाते हुए अपीलांट की अपील अंदर म्याद फरमावें।

अपीलांट द्वारा अपील के साथ शपथ पत्र के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में वर्णित कृषि भूमि का खातेदार कृषक है तथा मौके पर काबिज है। इसके बावजूद अपीलांट को जानबूझकर रेस्पोंडेन्ट ने पक्षकार नहीं बनाया। इसलिए अपीलांट की गैर–मौजूदगी में अपीलाधीन निर्णय व

राजस्व अपील प्राधिकारी बाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री पारित हुआ जिससे अपीलांट प्रत्यक्ष रूप से पीडित है। अतः अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करावें।

अपील अपीलांट दर्ज कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3, 7, 8, 10 व 11 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार प्रजापत ने तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्रसिंह राजपुरोहित ने वकालतनामा प्रस्तुत किया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 9 बावजूद तामील/सूचना के अनुपस्थित रहें। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रकरण में बहस का निवेदन किये जाने पर विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील एवं इसके साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्यों व कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय के संबंधित वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.02.2013 को पेश हुआ, जिसमें अपीलांट को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया था, जबकि अपीलांट वादग्रस्त आराजी का दिनांक 12.02.2013 को पंजीकृत बेचान एवं नामांतरण संख्या 315 दिनांक 20.02.2013 से खातेदार कब्जाकाश्त है। अपीलाधीन निर्णय अपीलांट के पीठ के पीछे अपीलांट की अनुपस्थिति में लोक अदालत कैम्प में पारित किया है, जिसमें वादी व प्रतिवादी के मध्य सहमति से जरिये राजीनामा निस्तारण होना अंकित है, जबकि आदेशिका दिनांक 15.06.2015 के अनुसार केवल वादिया हुलकी एवं प्रतिवादी संख्या 5, 7 व 8 ही उपस्थित होना अंकित है। अतः विलंबकाल को माफ करते हुए अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान कर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट्स ने बहस में निवेदन किया कि अपीलांट की अपील म्याद बाहर है तथा अपीलांट द्वारा विलंब के लिए कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया है। अपीलाधीन निर्णय लोक अदालत में जरिये राजीनामा पारित किया गया है, जोकि अपील योग्य नहीं हैं। अतः अपील काबिल खारिज होने से खारिज फरमावें।

हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं इस पर मनन किया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का सर्वप्रथम निर्णयन आवश्यक है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह निवेदन किया है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी अपीलांट को दिनांक 20.07.2015 को जब पटवारी उक्त निर्णय व डिक्री की पालना के लिए मौके पर आये, तो उन्होंने इसके संबंध में बताया। तत्पश्चात अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में नकल आवेदन संख्या 151 दिनांक 21.07.2015 पेश किया। जो दिनांक 03.08.2015 को नकल प्राप्त हुई। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में पक्षकार संयोजित नहीं था। अतः जानकारी के दिनांक से म्याद की गणना की जाए तथा विलंबकाल को माफ कर अपील अंदर म्याद फरमावें।

2. अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के प्रकरण में पक्षकार संयोजित नहीं था। हालांकि

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अपीलांट वादग्रस्त आराजी का अभिलिखित खातेदार था। पक्षकार नहीं होने के कारण यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की निर्णय के दिन से जानकारी नहीं थीं तथा अपीलांट को इसकी जानकारी दिनांक 21.07.2015 को हुई थी तथा अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील 25.08.2015 को प्रस्तुत कर दी थीं। अतः अपीलांट सद्भाविक है, लिहाजा अपीलांट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाता है। विलंबकाल को माफ करते हुए अपील अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

3. अपीलांट द्वारा धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में वर्णित कृषि भूमि का खातेदार कृषक है तथा मौके पर काबिज है। इसके बावजूद अपीलांट को जानबूझकर रेस्पोंडेन्ट ने पक्षकार नहीं बनाया। इसलिए अपीलांट की गैर–मौजूदगी में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित हुआ जिससे अपीलांट प्रत्यक्ष रूप से पीडित है। अतः अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करावें।

4. अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.02.2013 को पेश हुआ, जिसमें अपीलांट को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया था, जबकि अपीलांट वादग्रस्त आराजी का दिनांक 12.02.2013 को पंजीकृत बेचान एवं नामांतरण संख्या 315 दिनांक 20.02.2013 से खातेदार कब्जाकाश्त है। अपीलाधीन निर्णय अपीलांट के पीठ के पीछे अपीलांट की अनुपस्थिति में लोक अदालत कैम्प में पारित किया है, अतः अपीलांट अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2015 से प्रत्यक्ष रूप से पीडित व प्रभावित पक्ष है। लिहाजा अपीलांट को सुना जाना आवश्यक है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाता है। अपीलांट को रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

5. अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में मुख्य रूप से यह निवेदन किया है कि अपीलाधीन निर्णय से संबंधित वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.02.2013 को पेश हुआ, जिसमें अपीलांट को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया था, जबकि अपीलांट वादग्रस्त आराजी का दिनांक 12.02.2013 को पंजीकृत बेचान एवं नामांतरण संख्या 315 दिनांक 20.02.2013 से खातेदार कब्जाकाश्त है। अपीलाधीन निर्णय अपीलांट के पीठ के पीछे अपीलांट की अनुपस्थिति में लोक अदालत कैम्प में पारित किया है, जिसमें वादी व प्रतिवादी के मध्य सहमति से जरिये राजीनामा निस्तारण होना अंकित है, जबकि सभी पक्षकारान न तो राजीनामा के लिए उपस्थित हुए व न ही सभी पक्षकारानों ने लिखित में कोई राजीनामा निष्पादित किया है। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिविरूद्ध होने से काबिल खारिज है।

6. रेस्पोडेन्ट द्वारा मुख्य रूप से इस पर बल दिया गया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पक्षकारों के मध्य राजीनामा से लोक अदालत में पारित किया गया है, जो अपील योग्य नहीं हैं। साथ ही निर्णय व डिक्री विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट काबिल खारिज है।

7. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

ग्राम धाणदा तहसील बाली में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 175 रकबा 1.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 176 रकबा 3.43 हैक्टेयर, खसरा संख्या 178 रकबा 0.01 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 179 रकबा 0.05 हैक्टेयर में से खातेदार व विक्रेता किशोर पुत्र मालाजी, सुरेश पुत्र मालाजी व प्रकाश पुत्र मालाजी से उनका संपूर्ण हिस्सा दिनांक 12.02.2013 को पंजीकृत बेचान से क्रय कर लिया गया, जो नामांतरण संख्या 315 दिनांक 20.02.2013 द्वारा बतौर खातेदार दर्ज हुआ। अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 12 के विरूद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर बाली में वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया जो दिनांक 25.02.2013 को दर्ज होकर दिनांक 15.06.2015 को लोक अदालत कैम्प मौखमपुरा में निर्णित व डिक्री हुआ।

8. अपीलांट अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से संबंधित वादपत्र दर्ज होने के पूर्व से वादग्रस्त आराजी का अभिलिखित खातेदार था इसके बावजूद रेस्पोडेन्ट वादीगण द्वारा प्रकरण में पक्षकार संयोजित नहीं किया।

9. अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 15.06.2015 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिनी हुलकी एवं प्रतिवादी तीजो, भंवरी, अणची व शेषाराम के हस्ताक्षर/अंगुठा निशान आदेशिका पर अंकित है। शेष रेस्पोडेन्ट एवं वादी संख्या 2 व 3 के न तो अंगुठा निशान है एवं न ही इनकी उपस्थिति के संबंध में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी अंकित है। आदेशिका के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा प्रस्तुत होकर तस्दीक नहीं हुआ है। इसके बावजूद अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा जरिये राजीनामा प्रकरण को निस्तारित करते हुए निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई।

10. राजीनामा के जरिये लोक अदालत में प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर.सी.आर. सिविल 2006 (4) पेज 947 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20 के अंतर्गत लोक अदालत के द्वारा मुकदमों के निस्तारण की शक्तियों के संबंध में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है– **" No Order can be passed by Lok Adalat if no compromised or settlement of could at between Parties."** इस प्रकार यह सुविस्थापित प्रावधान है कि पक्षकारों के मध्य बिना सहमति हुए एवं बिना राजीनामा हुए किसी भी प्रकरण को न तो लोक अदालत में रखा जा सकता है एवं न ही लोक अदालत में निर्णित किया जा सकता है, ऐसा किया जाना पक्षकारों के मध्य न्यायिक जबरदस्ती की श्रेणी में आता है, जिसका किसी भी दृष्टि में समर्थन नहीं किया जा सकता है।

11. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अधीनस्थ न्यायालय के विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रश्नगत निर्णय एवं डिक्री से पूर्व अपीलांट जोकि वादग्रस्त आराजी का अभिलिखित खातेदार था, को पक्षकार संयोजित किए बिना अपीलांट की पीठ के पीछे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने, सभी पक्षकारान के उपस्थित नहीं होने, उभयपक्षकारान द्वारा कोई लिखित राजीनामा प्रस्तुत नहीं करने के बावजूद प्रकरण को लोक अदालत के दिन उभयपक्ष की सहमति अंकित करते हुए जरिये राजीनामा निर्णित कर देने तथा ऐसा निर्णय/आदेश विधिक

राजस्व अपील प्राधिकारी बाली

Scanned with OKEN Scanner

सेवा प्राधिकरण 1987 की धारा 20 से बाधित होने के कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टि/समर्थन योग्य नहीं होने से अपील अपीलांट भली–भांति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट को वादपत्र में प्रतिवादी पक्षकार संयोजित कर जवाबदावा लिया जाकर विवाद्यक कायम कर, उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए उभयपक्ष की साक्ष्य अभिलिखित की जाकर विवाद्यकवार निर्णय कर प्रकरण को विधिअनुसार पुनः निर्णित करने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट भली–भांति साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं, न्यायालय सहायक कलक्टर बाली जिला पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 10/2013 वादीगण हुलकी वगैरह प्रतिवादीगण किशोर वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2015 अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को वादपत्र में प्रतिवादी पक्षकार संयोजित कर जवाबदावा लिया जाकर विवाद्यक कायम कर, उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए उभयपक्ष की साक्ष्य अभिलिखित की जाकर विवाद्यकवार निर्णय कर प्रकरण को विधिअनुसार पुनः निर्णित करें। उभयपक्ष को जरिये अधिवक्ता पाबंद किया जाता है कि वे असालतन/वकालतन दिनांक 25.11.2024 को न्यायालय, सहायक कलक्टर बाली, जिला पाली में उपस्थित हों। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **18.10.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner